नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.), गुरूग्राम की
दिनांक 27.01.2026 को आयोजित बैठक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (का.), गुरूग्राम की वर्ष 2025 की दूसरी अर्धवार्षिक बैठक श्रीमती शिल्पा शिंदे, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस एवं अध्यक्ष नराकास, गुरूग्राम की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2026 को दोपहर 12.00 बजे वाप्कोस लिमिटेड, गुरूग्राम कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख व उनके प्रतिनिधि, राजभाषा अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में, श्री अमिताभ त्रिपाठी, निदेशक (वाणि. व मा.सं.वि.) एवं अध्यक्ष, विराकास द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वाप्कोस एवं अध्यक्ष, नराकास श्रीमती शिल्पा शिंदे तथा मंच पर आसीन श्री राहुल मित्थल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राइट्स लिमिटेड, श्री जितेन्द्र कुमार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, आरईसी लिमिटेड तथा श्री कुमार पाल शर्मा, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को पौधा देकर स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रतिनिधियों व राजभाषा अधिकारियों का परिचय लेते हुए सभी का बैठक में स्वागत किया।

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 16.07.2025 को आयोजित नराकास, गुरूग्राम की बैठक के कार्यवृत्त की अनुवर्ती कार्रवाई की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

सम्बोधन

सर्वप्रथम राइटस् लिमिटेड, गुरूग्राम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री राहुल मित्थल ने मंच तथा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया साथ ही उन्होंने बैठक के आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि हमें कुछ छोटे-छोटे ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे सभी को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिले। उन्होंने यह सुझाव दिया कि अपने कार्यालय को छोटी-छोटी यूनिटों में बांट दे ताकि सभी यूनिटों द्वारा किए गए पत्राचार का योग अधिक होगा इससे कार्यालय का पत्राचार का प्रतिशत बढ जाएगा। इन बैठकों के सफल आयोजन के लिए उन्होने सभी का धन्यवाद किया।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से उपस्थित संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन) श्री कुमार पाल शर्मा ने सदस्य कार्यालयों के उच्चाधिकारी व राजभाषा अधिकारियों का अभिनंदन करने के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

नराकास, गुरूग्राम बहुत अच्छा कार्य कर रही है तथा इसकी समय पर बैठकें होती हैं और प्रत्येक बैठक पिछली बैठक से बढकर ही होती है। उन्होंने नराकास के सदस्य कार्यालयों में से पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों को शुभकामनाएं दी।

उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नराकस, गुरूग्राम, सोनीपत तथा भिवानी के कुछ सदस्य कार्यालयों के साथ होने वाले विचार-विमर्श कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि पिछली बैठक में नराकास गुरूग्राम के 10 सदस्य कार्यालयों का पत्राचार का प्रतिशत 100 प्रतिशत था जोकि अब 15 कार्यालयों का 100 प्रतिशत पत्राचार है तथा 22 कार्यालयों का पत्राचार 90-99 प्रतिशत रहा है।

उन्होंने कहा कि 1949 में हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया और 26 जनवरी, 1950 को संघ की राजभाषा के रूप मे लागू हुई। इसके बाद कुछ राज्यों में हिन्दी के खिलाफ विद्रोह भी हुए। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार प्रमुख राजभाषा हिन्दी ही रहेगी परन्तु सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी जारी किए जाएंगे।

अनुबंध 120 - किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

1968 में राजभाषा संकल्प पारित हुआ, जिसके अनुसार सरकार राजभाषा विभाग सभी कार्यालयों में हिन्दी को कार्यान्वित कर तथा संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे इसके साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाए।

अनुच्छेद 345 के अनुसार सभी राज्य द्वारा अपनी राजभाषा चुन सकते हैं और सभी राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषा है। इसके साथ क्षेत्रीय भाषा या हिन्दी को अधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं।

भाषा के आधार पर ही राज्यों को 'क', 'ख' व 'ग' क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया जैसे कि जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया वे 'क' क्षेत्र में आते हैं, जिन राज्यों ने अपनी भाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी स्वीकार किया वे 'ख' क्षेत्र तथा जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा नहीं स्वीकार किया वहां पर अंग्रेजी राजभाषा है वे 'ग' क्षेत्र में आते हैं।

कार्यालयों में काम हिन्दी में देखने को मिल रहा है परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य हिन्दी में नहीं हो रहा है। तकनीकी कार्यों में मौलिक रूप से हिन्दी को लाना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अभी प्रशासनिक व मानव संसाधन में सभी काम हिन्दी में पूरी तरह से नहीं हो रहे हैं। मौलिक रूप से अंग्रेजी में काम करके उसका हिन्दी अनुवाद किया जाता है। कार्यालयों में नोटिंग में हिन्दी का प्रचलन बढ़ा है परन्तु हम अभी भी यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रवीणता प्राप्त कार्मिक अपना कार्यालय का कार्य पूर्णत: हिन्दी में कर रहे हैं। अभी हमें 3 (प्र) यानी प्रशिक्षण, प्रयोग व प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमें 3 'क' कलम, कागज और कम्प्यूटर का सिद्धांत यानि कलम से कागज तक और कागज से कम्प्यूटर तक, को भी प्रयोग में लाना होगा।

अंत में अध्यक्ष महोदया ने मंच पर आसीन श्री कुमार पाल शर्मा, श्री राहुल मित्थल और साथ ही बैठक में उपस्थित अधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि नराकास, गुरूग्राम के अधिकांश सदस्य कार्यालय हिन्दी में अच्छा काम कर रहे हैं तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदया ने यह भी अनुरोध किया कि सभी हिन्दी को आगे बढाते हुए नराकास, गुरूग्राम को भी आगे बढ़ाएं।

अंत में सदस्य सचिव, श्री राघवेन्द्र कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सदस्य सचिव ने मंच पर आसीन अधिकारियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया।

****